





NYAYA SADAN

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), Near A.G. Office, Doranda, Ranchi- 834002

Phone: 0651-2481520 (O), 2482392, Fax: 2482397, E-mail – jhalsaranchi@gmail.com

Ref No: JHALSA/ | 53)

Dated : 24 07 18

Patron-in-Chief

Hon'ble the Chief Justice Jharkhand High Court

EXECUTIVE CHAIRMAN

Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel Judge, Jharkhand High Court

MEMBER SECRETARY

Arun Kumar Rai (Principal District Judge)

COURT MATTER-MOST URGENT

All the Principal District Judges-cum-Chairpersons To. District Legal Services Authorities including the Principal Judicial Commissioner-cum-Chairman District Legal Services Authority, Ranchi, Jharkhand

Draft Mediation Agreement Format Sub:

Please find enclosed herewith Order of the Hon'ble Court dt: 17th of July, 2018 Sir, passed in A.B.A. 1632/2017. Hon'ble Court has been pleased to direct as follows:

".....Member Secretary, JHALSA is directed to upload the aforesaid draft of the proposed standard format of mediation agreement on the website of JHALSA latest by 01.08.18 and also to send through eemail to all the Principal District and Sessions Judges and Principal Judges, Family Courts within the State of Jharkhand with a direction that all the Principal District & Sessions Judges and Principal Judges, Family Courts in consultation with their judicial officers shall give suggestions/modifications/ objections, if any, for improving the said format latest by 31.08.18.

After receiving the suggestions/ modifications/ objections from the Principal District & Sessions Judges and their respective courts and Family Courts, Member submit suggestions/modifications/ objections on affidavit before this Court latest by directed to 17.09.18."

In compliance of the direction of Hon'ble Court a proposed standard format Mediation Agreement in matrimonial disputes, Negotiable Instrument Act matters and Motor Accident cases in both languages- Hindi and English is being attached herewith.

Your goodself is requested to circulate this to the Principal Judges of the Family Courts.

Further as directed, your goodself is requested to give your suggestions/ modifications/ objections, if any, for improving the said format latest by 31.08.18 for further needful at your end.

This may be given top most priority.

Yours faithfully

Member Secretary

Encl: As above

Standard Format of Mediation Agreement

1. Name of the Mediation Centre:	Jharkhand High Court Mediation Centre / District Mediation Centre
2. Name of the Mediator/Mediators:	1. 2. 3.
3. Whether nominated by the Court by the Member Secretary/Secretary in	or nominated
4. Ref. Of the Case : Case No Pending in th	e Court
5. Name of the Petitioner / Appellant	: :
6. Son of /Daughter of / Wife of :	
7. Resident of :	
6.IVIOUTIC TVO.	
9. Email id	
10. Language in which proficient: .	
15. Email id :	

- `18. Terms and conditions of the Agreement :
 a. Whether written by the Parties themselves : Yes /NO
 b. Whether written by Mediator/Lawyer/Any boby else on dictation of the parties :

	Mediation Agreement in Matrimonial Matte Format-1	ers	
	Settlement/Agreement		
Date :			
Present:	Complainant X in person (hereinafter referred as wife) alongwith here	r father and Advoca	ate.
	Accused Y (hereinafter referred as husband) in person alongwith hi	s father and Advo	ocate.
	I held joint and individual session with the parties.		
	Negotiations held.		
	Briefly stated, the relevant facts of the case as disclosed by the	parties, are that	the wife and the
Husband got	married on according to Hindu rites and customs.		
	d one son namely both aged about 2 years were born from		
are in the car	e and custody of wife at present. Certain matrimonial differences h	ave stated to be a	risen between the
parties.			
	Husband has filed a custody petition under section	25 of Guardianshi	p and Wards Act,
1890 titled as	Vs, pending in Court of Ms		
	The wife has filed a Petition u/s 12 D.V. Act titled as	Vs	, pending in
Court of Ms	The wife has filed a reduction at a 12 grown or a 12 grown		
Court of Ivis.		11/- 400	AMAGEM IDC DS
	The wife has also filed a criminal complaint vide FIR No		
	, Anticipatory Bail Application is pending in the court of Ms	, at	and

the same has been referred for mediation.

After negotiations, the wife and the husband have agreed to settle their disputes as follows:

1)It is agreed that the wife and Husband shall dismutual consent without leveling allegations an accordance with law.	d Courtor allogations again
2) It is agreed that the husband shall pay Rs. all legal entitlements past, present and future a permanent alimony, maintenance, Istridhan, Ma majority as per law and all other miscellaneous;	intenance of both the children till their age of and legal expenses.
3)It is agreed that the wife and the husband shat the court of competent jurisdiction at or before It is further agreed the Rs (in words) in cash/DD shall I said court.	at at the time of recording of First Motion,
4)It is agreed that husband and wife shall initial of Second Motion before the court of compestipulated period in accordance with law. It is Second Motion, Rs (in words) in wife before the said court.	further pareed that at the time of recording of
bearing no, u/s 498A/406/34 consequential proceedings arising out of the smarriage and at that time the husband shall pa	Propriate legal proceedings for quashing of FIR IPC, P.S and all other said FIR within 15 days after the dissolution of y the balance amount out of Rs he wife. It is further agreed that wife shall coquashing of FIR and all other
both the children namely and them four times in a calendar year by givin convenient place in the presence of wife or an of two hours. It is further agreed between the between the parties the wife and husband so	manent custody of both the children namely all be entitled for visitation rights in respect of and for which the husband shall meet g one week prior information to the wife at a y elderly person of the family atleast for a period e parties that for the purpose of communication shall be contacting through email or any other sband is and the email is further agreed, if there is any change in the er of the party, the same shall be communicated ange.
name with visitation to the concerned authori	_ will cooperate in getting the car bearing no. er in the name of or in any other ties at The expenses shall be
borne by both parties in equal proportion.	
8)It is agreed that	_ will issue NOC to get the joint loan application There shall be no claim in respect of the
property by	

	goes abroad ei	shall not oppose the grant of anticipatory bail and shall not create any hindrance in case ither for his job assignment or for any other personal reason.
petit	is agreed that in view of the on u/s 12 of D.V. Act titled a	ne present settlement, the wife shall withdraw the present as
	rdianship and Wards Act, 192 rt of, on their	73 11118(1 03
11) [°]	The wife and the husband wit	th the assistance of their respective counsels shall cooperate conditions of this settlement.
12) no par oth sar	It is settled that after compliant dispute due between the parties shall file any civil or crimer case/petition/complaint etc ne shall be withdrawn/got disp	nce of the terms of the present settlement, there shall remain arties arising out of the said marriage and that none of the ninal proceedings against each other in future and that if any between the parties is pending in any Court or Authority, the posed of by the respective party. Deir dispute out of their own free will, without any fear, force,
Complainant		Accused
Father/Relative o	f the complainant	Father/ Relative of the accused
Advocate.		Advocate.
understood the s	ame and have admitted the sa Settlement proceedings be se on its next date of hearing i.e Copy of settlement be given t	ent to the referral courts. Parties to appear before the Referral court o
		(Signature of Mediator)

Mediation Agreement in Matrimonial Matters Format-2

	Settlement/Agreement
Date	
Present:	X, complainant (hereinafter referred as wife) alongwith brother
	Y, Respondent (hereinafter referred as husband) alongwith father and Advocate.
	I held one joint session with the parties.
	Negotiations held.
	Briefly stated, the relevant facts of the case as disclosed by the parties, are that the wife and the
Husband go	ot married on according to Hindu rites and customs. No issue was born out of the said wedlock.
Certain ma	rimonial differences have stated to be arisen between the parties.
	The wife has filed a Petition u/s 12 of D.V. Act titled as X Vs. Y, pending in Court of.
and the sar	ne has been referred for mediation.
	The wife has also filed a Petition bearing no titled as X V/s Y u/s 125
Cr.P.C. pe	nding before the Hon'ble Court, which is pending for
	After negotiations, the wife and the husband have agreed to settle their disputes as follows:
	1)It is agreed that the wife and Husband shall dissolve their marriage by decree of divorce by mutual consent without leveling allegations and counter-allegations against each other in accordance with law.
	2)It is agreed that the husband shall pay Rs (in words) to the wife towards her all legal entitlements past, present and future arising out of the marriage which shall include permanent alimony, maintenance, and all other miscellaneous and legal expenses.
	3)It is agreed that the wife and the husband shall initiate appropriate legal proceedings before the court of competent jurisdiction at for recording of First Motion on or before It is further agreed that at the time of recording of First Motion, the husband shall pay Rs (in words) in cash/DD in the name of wife.
	4)It is agreed that husband and wife shall initiate appropriate legal proceedings for recording

il I I I accordance W	urt of competent jurisdiction at within ith law. It is further agreed that at the time of recording of pay Rs (in words) in cash/DD to the wife.
eventuality, she will be liable to r time of recording of statements in	commits default for recording of second motion, in that refund back Rs/- as to be received by her at the in first motion. It is further agreed that in case, the husband attement in Second Motion, in that eventuality, the wife shall/- so received by her at the time of recording of first
from the referral court as w , after recording	present settlement, the wife shall withdraw the present case rell as the connected case pending in the court of of Second Motion and till then wife should not prosecute or case referred for mediation. However, in case of default as shall be at liberty to continue with the trial of case referred for
7)The wife and the husband with the execution of the terms and co	the assistance of their respective counsels shall cooperate in onditions of this settlement.
no dispute due between the pa	acte of the terms of the present settlement, there shall remain arties arising out of the said marriage and that none of the ninal proceedings against each other in future and that if any
same shall be withdrawn/got disp	posed of by the respective party.
9)The parties have settled thei coercion or undue influence from	posed of by the respective party.
9)The parties have settled thei coercion or undue influence from	r dispute out of their own free will, without any fear, force, in any side.
9)The parties have settled thei coercion or undue influence from	r dispute out of their own free will, without any fear, force, n any side.
9)The parties have settled thei coercion or undue influence from Complainant Father/Relative of the Complainant The contents of the settlement has understood the same and have admitted the same	Respondent Father/Relative of the Respondent Advocate. Advocate. Advocate. The tothe referral court. Parties to appear before the referral Court of parties. The tothe referral court of the parties in the parties of the parties. The tothe referral court of the parties of the referral court of parties.

Mediation Agreement in Matrimonial Matters Format- 3

Settlement/Agreement

	<u>John The Samuel Control of the Samuel Contr</u>
Date:	
Jale:	
Present:	Petitioner in person(hereinafter referred as "wife") alongwith Advocate.
	Respondent (hereinafter referred as "husband") in person alongwith Advocate.
	I held joint session and single session with the parties.
	Negotiations held. Briefly stated, the relevant facts of the case as disclosed by the parties, are that the wife and according to Hindu rites and customs. No issue was born out of
and the h	Briefly stated, the relevant facts of the case as disclosed by the parties, are that the main and got married onaccording to Hindu rites and customs. No issue was born out of according to Hindu rites and customs. No issue was born out of according to Hindu rites and customs. No issue was born out of according to Hindu rites and customs. No issue was born out of wedlock. The matrimonial dispute has been arisen between the parties, as a result of which the wife usband initiated legal proceedings against each other. The petitioner wife has filed a petition u/s 125 usband initiated legal proceedings against each other. The petitioner wife has filed a petition u/s 125 usband initiated legal proceedings vide FIF, and is being referred for mediation. The wife has also initiated criminal proceedings vide FIF, and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation, the trial u/s 498/406/34 IPC at P.S and after completion of investigation in the court of Shanning in the
	After negotiations, the wife and the husband have agreed to settle their disputes as follows:
	1)It is agreed that the wife and Husband shall dissolve their marriage by decree of divorce by mutual consent without leveling allegations and counter-allegations against each other in accordance with law.
	2)It is agreed that the husband shall pay Rs
	3)It is agreed that the wife and the husband shall initiate appropriate legal proceedings before the court of competent jurisdiction at for recording of First Motion on or before It is further agreed that at the time of recording of First Motion the husband shall pay Rs (in words) by way of Demand Draft in the name of wife.

Father/Relative of Petitioner		Father/Relative of Respondent		
Petitioner		Respondent		
	9)The parties have settled force, coercion or undue infl	their dispute out of their own free will, without any fear, luence from any side.		
	remain no dispute due between none of the parties shall file	pliance of the terms of the present settlement, there shall ween the parties arising out of the said marriage and that e any civil or criminal proceedings against each other in case/petition/complaint etc. between the parties is pending the same shall be withdrawn/got disposed of by the		
	7)The wife and the husban cooperate in the execution o	d with the assistance of their respective counsels shall f the terms and conditions of this settlement.		
	6)It is agreed that the wife and the husband shall withdraw their respective cases as mentioned hereinabove immediately after the dissolution of marriage by decree of divorce by mutual consent.			
	diame for augobing of	and the husband shall jointly initiate appropriate legal FIR bearing no u/s 498A/406/34 IPC P.S. me the husband shall pay Rs (in words) the name of wife.		
	recording of Second Motion in according	and wife shall initiate appropriate legal proceedings for on before the court of competent jurisdiction at ance with law. It is further agreed that at the time of and dissolution of marriage by decree of divorce by mutual pay Rs (in words) to the wife by way of wife.		

	The contents of the settlement have been explained to the parti	es in vernacu	lar and they	have
James and the	The contents of the settlement have been explained to the parties as same and have admitted the same to be correct.			
derstood th	e same and have definited the same same same and a same Bortis	e to annear	before the	Court
ncerned	Settlement proceedings be sent to the referral court. Partie for further directions.	s to appear		
	Copy of settlement be given to both the parties.			
	Copy of Soulement 2 3			
	(Signature of	the Mediator)	
	(Signature of	ille Mediator		
	Mediation Agreement in Motor Accident C	Cases		
	Format-1			
	Settlement / Agreement			
Present:	XYZ, petitioner in person alongwith Sh	Advocate	for the p	etitione
no 1 &2 a	nd Sh, Advocate for petitioner no. 3 &4.			
110. 1 42 4		National	Insurance	
	Sh, Advocate for the Respondent No.3/The	Mational	mourance	
Company	Ltd.			
	I held single as well as joint session with the parties.			
	Theid single de Weil de Jeille			
	Negotiations held.			
	Brief facts of the present case as disclosed by the parties a	re that on DA	TEat about]	IMEa.r
	Brief facts of the present case as disclosed by the parties a		and h	it again
atPLACE	Respondent no. 1 was driving a vehicle bearing no.		allu II	it again
	which caused fatal injuries to him. The petitioner filed the p	resent claim	case which is	s pendii
	the came is referred for mediation.			
in the cou	which caused fatal injuries to him. The petitioner filed the purit of Sh the same is referred for mediation.	resent ciaim	case willon is	poridi

	The concerned parties, After deliberation have agreed to settle the present case on	the
following term	ms and conditions:	
	1)It is mutually settled between the parties that Respondent No.3shall pay Rs (in words) to the petitioners by way of Cheque before the Referral Court within 30 days from today towards full and final settlement of the present claim case.	
	2)That, it is settled that after receipt/payment of the total settled amount, there shall remain no case/claim/dispute due between the petitioners and Respondent No.3 in the present claim case and that none of the parties shall file any other case/claim against each other in future qua the present claim case.	
	3)That, the parties have entered into the present settlement/agreement out of their own free will, without any fear, coercion or undue influence from any side.	
	Advocate for the Respondent No.3	
petitioner		
Advocate for petitioner	r no. 1 &2	
Advocate for petitioner	no. 3 &4.	
understood the	The contents of the settlement have been explained to the parties in vernacular and they have same and have admitted the same to be correct.	ave
concerned on	Settlement proceedings be sent to Ld. Court concerned. Parties to appear before Cn for further directions.	ourt
	Copy of this settlement be given to each of the parties.	
	(Signature of the Media	tor)

Mediation Agreement in Motor Accident Cases Format-2

Settlement/Agreement

I held one joint session with the parties.
Brief facts of the present cases as disclosed by the parties are that a FIR bearing no, u/s 279/338 IPC got registered in P.S on the allegation that the accused/driver while driving the vehicle bearing no on <u>DATE</u> at <u>TIME</u> at <u>PLACE</u> caused injuries to XYZ.
The concerned I.O., after investigation had filed a DAR titled as XYZ Vs. ABC bearing suit No which is pending in the court of Sh, and the same is being referred for mediation.
After negotiations, the the concerned parties have agreed to settle their disputes as follows:
1)It is agreed that the respondent no. 1/Driver and Respondent no. 2/owner shall jointly pay Rs
3)The parties have settled their dispute out of their own free will, without any fear, force, coercion or undue influence from any side.

Petitioner		Respondent no. 1/Driver and Respondent no. 2/owner of the vehicle
Advocate for	the petitioner	Advocate for the Respondent.
The contents	of the settlement have been explain	ned to the parties in vernacular and they have understood the
	Settlement proceedings be sent the referral court on	to the referral court as well as in the concerned court. Parties to for further directions.
		(Signature of the Mediator)
	Mediation	Agreement in Motor Accident Cases Format-3
	<u>Se</u>	ettlement/Agreement
Present:	Injured in person.	
	Accused/driver in person. I held one joint session with the pa	rties.
21.4.05		as disclosed by the parties are that on <u>DATE</u> at about <u>TIME</u> at
		Truck bearing No and caused grievous injuries
		he offences U/s.279/338 IPC vide FIR bearing no at PS
mediation.	The trial is pending before the co	ourt of Sh, and the same is being referred for

1 1 1	compound the offence u/s 338 IPC with the accused/driver
for which th	ne accused/driver shall pay the
words) to the injured	in cash before the referral court on
2)It is agreed that, after proceedings shall be initia U/s.338 IPC between the page	the receipt/payment of the total settled amount, appropriate atted before the Court concerned for compounding the offence arties.
3)The parties have settled coercion or undue influence	their dispute out of their own free will, without any fear, force, e from any side.
njured	Accused/driver
Settlement proceedings	explained to the parties in vernacular and they have understood the correct. be sent to the referral court. Parties to appear before the Court conc
amo and have admitted the same to be o	be sent to the referral court. Parties to appear before the Court conc
Settlement proceedings for further directions.	be sent to the referral court. Parties to appear before the Court conc
Settlement proceedings for further directions.	be sent to the referral court. Parties to appear before the Court conciven to both the parties.
Settlement proceedings for further directions.	be sent to the referral court. Parties to appear before the Court conciven to both the parties.
Settlement proceedings for further directions.	be sent to the referral court. Parties to appear before the Court conciven to both the parties.

Standard Format of the Mediation Agreement in N.I.Act Matters

Format-1

Settlement/Agreement

	Advocate.
Present:	Complainant in persons alongwith Sh, Advocate. Accused in person alongwith Sh, Advocate.
issued cheq dishonoured which are pe	Briefly stated, the relevant facts of the case as disclosed by the parties are that the accused use total amounting to Rs

complainant	accused
Advocate for the complainant	Advocate for the accused
The contents of the vernacular and they have understood the same	e settlement have been explained to the parties in e and have affirmed the same to be correct.
Settlement proceedings be sent Court on the next date of hearing i.e to both the parties.	to the Referral Court. The parties to appear before the referral for further directions. Copy of settlement be given
(Signature of	the Mediator)
1. 2.	1. 2.
3.	3.
Signature of the Petitioner/First Party Date :	Signature of the O.P./Second Party Date:
I identify that Petitioner/petitioners named above put his/her signature in my presence .	I identify that O.P/O.Ps named above puthis/her signature In my presence.
Sign of ld Adv, with date date	Sign of ld Adv with
Signature of Mediator/Mediators:	
1.	
2.	
3.	
Certificate by the mediator/ mediators	
Certified that pursuant to the Mediation proceedi own freewill and the dispute stands resolved in te	ing, the parties came to the settlement themselves on their erms of the agreement written hereinabove. This Mediation rries by me to which they admitted the same to be the

Signature of the Mediator/Mediators:

Standard Format of the Mediation Agreement in N.I.Act Matters

Format-2 Settlement/Agreement

Present:	Complainant in persons alongwith Sh, Advocate. Accused in person alongwith Sh, Advocate.
	Single as well as joint session is held with the parties.
accused is presentati as detaile for media	Briefly stated, the relevant facts of the case as disclosed by the parties are that the stated cheques total amounting to Rsin favour of complainant which on got dishonoured. Thereafter, the complainant have filed instant complaint u/s 138 NI Act d hereinabove which is pending in the court of, and the same is referred
	After negotiations, the concerned parties have agreed to settle their all disputes as
under:	
•	1)Accused is agree to I pay Rs (in words) to Complainant .
	2)It is agreed that the total settled amount of Rs shall be payable inequal monthly installments of Rseach . Complainant shall issue cheques of the amount rupeeseach.
	3)It is agreed that the instant Complaint Case will stand disposd of on the basis of this compromise. 4)It is agreed that in case of Cheques being again dishonoured, the Complainant shall be at liberty to file execution case for realisation of the dues amount. The Complainant may file any other appropriate case.
	5)It is settled that after the receipt/payment of the total settled amount, there shall remain no dispute between the parties.
	6)Both the parties have settled their dispute out of their own free will, without any fear, force, coercion or undue influence from any side.
comp	ainant
Advo	cate for the complainant Advocate for the accused

The contents of the settlement have been explained to and they have understood the same and have affirmed the same to be	
Settlement proceedings be sent to the Referral Court. referral Court on the next date of hearing i.esettlement be given to both the parties.	
(Signature of the Mediato	r)

#ध्यस्थता के द्वारा सुलहनामा का मानक प्रारूप #ध्यस्थता केव्न का नाम :- झारखण्ड उच्च न्यायालय मध्यस्थता केव्न/	Postil design
1. मध्यस्थता केन्द्र का नाम :- झारखण्ड उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र/	मध्यस्थता के द्वारा सुलहनामा का मानक प्राप्त
2. मध्यस्थ/ मध्यस्थों का नाम 1. 2.3 3. मध्यस्थ न्यायालय द्वारा नामित/सदस्य सचिव/सचिव द्वारा नामित :- न्यायालय का नाम जहाँ मुकदमा लंबित है :- आवेदक/ अपीलकर्ता का नाम :- 6. पिता/ पित का नाम :- 7. निवास स्थान :- हैमेल :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हाँ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं० :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हाँ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:	वाञ्चण्ड उच्च न्यायालय मध्यस्थता कन्द्र/
4. वाद संख्या ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या का नाम जहाँ मुकदमा लंवित हैं :- 5. आवेदक/ अपीलकर्ता का नाम :- 6. पिता/ पित का नाम :- 7. निवास स्थान :- 8. मोवाईल नं० :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती हैं :-	मध्यस्थ/ मध्यस्थों का नाम १.
4. बाद संख्या हाँ सुकदमा लंवित हैं :- अावेदक/ अपीलकर्ता का नाम :- 6. पिता/ पित का नाम :- 7. निवास स्थान :- 8. मोवाईल नं0 :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती हैं :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हॉ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं0 :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती हैं । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:	3.
4. बाद संख्या क्यायालय का नाम जहाँ मुकदमा लंवित है :- अयोवत्म अपीलकर्ता का नाम :- 6. पिता/ पित का नाम :- 7. निवास स्थान :- 8. मोवाईल नं० :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हाँ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं० :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हाँ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:-	3. मध्यस्थ न्यायालय द्वारा नामित/सदस्य सचिव/सचिव द्वारा नामित :
5. आवेदक/ अपीलकर्ता का नाम :- 6. पिता/ पित का नाम :- 7. निवास स्थान :- 8. मोदाईल नं0 :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हॉ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं0 :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है । द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:-	4. वाद संख्या
6. पिता/ पित का नाम :- 7. निवास स्थान :- 8. मोवाईल नं0 :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हॉ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं0 :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है । द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:-	5 आवेदक/ अपीलकर्ता का नाम :-
 7. निवास स्थान :- 8. मोवाईल नं० :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हॉ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं० :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:- 	्र स्टिका नाम :-
 8. मोवाईल नं० :- 9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- आवेदक को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हॉ/ नहीं 11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं० :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है । द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:- 	7. निवास स्थान :-
311वेदक को सुलहनामी पढ़ के सुजाना पर हैं। 1. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी का नाम :- 1. पिता / पित का नाम :- 1. निवास स्थान :- 1. मोवाईल नं० :- 1. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती हैं । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ नहीं 1. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	8 मोवाईल नं० :-
11. द्वितीय पक्ष / प्रतिवादों की नाम :- 12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं0 :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती हैं । द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	9. ईमेल :- 10. भाषा जो आवेदक /अपीलकर्ता को सहजता से समझ में आती है :- अपनेटक को सलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :-हॉ/ नहीं
12. पिता / पित का नाम :- 13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं0 :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती हैं । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ / नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	०० - नवर / मितिहादी की नाम :-
13. निवास स्थान :- 14. मोवाईल नं० :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती हैं । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ / नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	० कि मा नाम :-
14. मोवाईल नं० :- 15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती हैं । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ / नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	
15. ईमेल :- 16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आती है । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया :- हॉ / नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	13. निवार्ट जीवार्ट निवार्ट निवार निवार्ट निवार्ट निवार निवार्ट निवार्ट निवार्ट निवार्ट निवार्ट निवार्ट निवार्ट निवार
द्वितीय पक्ष/ प्रतिवादी की सुलहनामा पर् :- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश है:-	14. निपाइटा अर्थ
:- हॉ/ नहीं 17. संक्षेप में न्यायालय के आदेश का वर्णन / आदेश के उस अंश का वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता केन्द्र रेफर किये जाने का आदेश हैं:-	16. भाषा जो द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सहजता से समझ में आता है। वितीय पक्ष / प्रतिवादी को सुलहनामा पढ़ के सुनाया व समझाया गया
वर्णन जिसमे विवाद का गण्यस्था	:- हॉ/ नहीं
	वर्णन जिसमें विवाद को मध्यस्थता कन्द्र एकर
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
। ८. दोनो पक्षों में हुए सहमति का विवरण :-	
18. दोनो पक्षों में हुए सहमात का विवरन	
	18. दोनो पक्षों में हुए सहमात का विपर्न

- 19. सहमति का विवरण पक्षकारों ने लिखा है :- हॉं/ नहीं
- 20. सहमति का विवरण मध्यस्थ ने / अधिवक्ता ने या किसी अन्य ने (नाम तथा अन्य विवरण लिखें) पक्षकारों के कहने पर लिखा ।

पारिवारिक मामलों में मध्यरथता – सुलहानाम का मानक प्रारूप-1 सहमति पत्र दिनांक : उपस्थिति :- आवेदक / प्रथम पक्ष (पत्नी के रूप में आगे वर्णित) रवंय उपस्थित है । उनके पिता/मॉ/ अन्य (वर्णन करें) तथा अधिवक्ता उनके साथ है । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी (पित के रूप में आगे वर्णित) रवंय उपस्थित है । उनके पिता/ मॉ/ भाई/ अन्य (वर्णन करें) तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं । मैने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्वपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू रिति के आपस में पति एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू जिला अनुसार तारीख को स्थान जिला जन एक / दो / संतान नाम एवं उम पक्ष के पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित ने बच्चों के कररडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर किया। पत्नी ने भी पित के विरुद्ध निम्निलिखित मामले विभिन्न न्यायालयों में दायर किये :-	
उपस्थित :- आवेदक / प्रथम पक्ष (पत्नी के रूप में आगे वर्णित) स्वंय उपस्थित है । उनके पिता/मॉ/ अन्य (वर्णन करें) तथा अधिवक्ता उनके साथ है । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी (पित के रूप में आगे वर्णित) स्वंय उपस्थित है । उनके पिता/ मॉ/ भाई/ अन्य (वर्णन करे) तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं । मैंने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू रिति के अनुसार तारीख को स्थान जिला अनुसार तारीख मंतान नाम एवं उम्र को एक / दो / संतान नाम एवं उम्र पक्ष के पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित ने बन्चों के करस्टडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर कि स्था। पत्नी ने भी पित के विरुद्ध निम्निलिखत मामले विभिन्न	पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता – सुलहानाम का मानक प्रारूप-।
उपरिथित :- आवेदक / प्रथम पक्ष (पत्ली के रूप में आंग वर्णित) खंय उपरिथत है । उनके पिता/मॉ/ अन्य (वर्णन करें) तथा अधिवक्ता उनके साथ है । द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी (पित के रूप में आंगे वर्णित) खंय उपरिथत है । उनके पिता/ मॉ/ भाई/ अन्य (वर्णन करे) तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं । मैंने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार तारीख को स्थान जिला अनुसार तारीख में हुई । विवाहों परांत उभयपक्षों को एक / दो / संतान नाम एवं उस पक्ष के पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित व बच्चों के कररडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर कि साथ। पत्नी ने भी पित के विरुद्ध निम्निलिखित मामले विभिन्न	सहमति पत्र
ि हितीय पक्ष / प्रतिवादी	(पत्नी के रूप में आग
द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी (पित के रूप में आग वीणत) स्यंय उपस्थित है । उनके पिता/ मॉ/ भाई/ अन्य (वर्णन करे) तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं । मैने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्वपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू रीति के आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू जिला अनुसार तारीख में हुई । विवाहों परांत उभयपक्षों को एक / दो / संतान नाम एवं उम्र पक्ष को पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित ने बच्चों के कारडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर किसा। पत्नी ने भी पित के विरुद्ध निम्निलिखित मामले विभिन्न	जनम् अधितक्ती उनक साय ए
स्वयं उपस्थित है । उनके पिता/ मॉ/ भाई/ अन्य (वणन कर) तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं । मैंने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू रीति के आवसार तारीख को स्थान जिला अनुसार तारीख में हुई । विवाहों परांत उभयपक्षों को एक / दो / संतान नाम एवं उम्र को एक / दो / संतान को प्रथम पक्ष / द्वितीय पक्ष के पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित ने बच्चों के कररडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर	० १ मा (प्रतिवादी (प्रति के रूप में आग वाणत)
तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं । मैंने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्वपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी हैं । उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार तारीख को स्थान जिला अनुसार तारीख में हुई । विवाहों परांत उभयपक्षों को एक / दो / संतान नाम एवं उम्र को एक / दो / संतान नाम एवं उम्र पक्ष के पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित व बच्चों के कररडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर किया। पत्नी ने भी पित के विरूद्ध निम्नित्यित मामले विभिन्न	स्वंय उपस्थित है । उनके पिता/ मॉं/ भाई/ अन्य (वर्णन पर
मैने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्वता पत्र कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्वपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू —— रीति के अनुसार तारीख —————— को स्थान —————— जिला अनुसार तारीख ————————————————————————————————————)
कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्वपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू —— रीति के आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू —— जिला अनुसार तारीख ————————————————————————————————————	मैने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता पर
किया। पत्नी ने भी पति पर प्रिक्त	कार्यवाही की । उभय पक्षों में सौहार्वपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ । दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू रीति के अनुसार तारीख को स्थान जिला अनुसार तारीख में हुई । विवाहों परांत उभयपक्षों राज्य में हुई । विवाहों परांत उभयपक्षों को एक / दो / संतान नाम एवं उस को एक / दो / संतान में प्रथम पक्ष / द्वितीय हुआ/ बच्चे अभी वर्तमान में प्रथम पक्ष / द्वितीय पक्ष के पास है । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पित वि बच्चों के कस्टडी हेतु अन्तर्गत धारा के समक्ष दायर
	किया। पत्नी ने भी पात के विकास

क.

	1. वाद संख्या	-2. पक्षकारों के नाम	3. अन्तर्गत
	धारा	अधिनियम ४.न्य	यालय का
	नाम		
ख.			
	1.वाद संख्या	2. पक्षकारों के नाम	३. अन्तर्गत
	धारा	अधिनियम ४.न्यार	गालय का नाम
ग.			
		~ `	

1.वाद संख्या -----2. पक्षकारों के नाम ------3. अन्तर्गत धारा ----- अधिनियम ----- 4.न्यायालय का नाम

मध्यस्थतोपरांत उभय पक्ष अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने पर सहमत हुए। पूर्ण सहमतिनामा इस प्रकार है :

- उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि वे अपने विवाह को विधिक प्रक्रिया से आपसी सहमित के आधार पर तलाक द्वारा समाप्त कर लेंगें।
- 2. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि पित द्वारा पत्नी को रूपये ————— का भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान स्थायी निर्वाह निधि, भरण –पोषण, स्त्रीधन, बच्चों के देख रेख– शिक्षा आदि तथा अन्य सभी दायित्यों तथा मुकदमें बाजी में हुए खर्च के एवज में है।
- 3. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि सक्षम न्यायालय में उपयुक्त वाद लाया जायेगा तथा प्रथम प्रस्ताव के समय पित द्वारा पत्नी को -----रूपया का नकद/ इंग्फ्ट के द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 4. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि उपरोक्त वाद में समय सीमा के भीतर द्वितीय प्रस्ताव लाया जायेगा तथा उसे लिपिवन्द्व कराया जायेगा।

द्वितीय प्रस्ताव के समय पित द्वारा पत्नी को ----- रूपया नगद/ डिमांड इफट द्वारा भुगतान किया जायेगा।

- - 6. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि दोनो बच्चे माता के साथ ही रहेगें तथा पिता को एक साल में चार बार बच्चों से मिलने का हक रहेगा । पित एक सप्ताह पूर्व सूचना देकर दोनो पक्षो के लिये सुविधा जनक स्थान पर पत्नी या किसी बड़े बुजुर्ग कि उपस्थित में कम से कम दो धंटे के लिये मिल सकेगें । पित पत्नी आपस में इमेल या किसी भी अन्य माध्यम से समर्पक करेगें । पित का इमेल आईडी ————— तथा पत्नी का इमेल आईडी —————— है । उभय पक्ष एक दूसरे को निवास स्थान बदलने पर सूचित करेगें ।
 - 7. उभय पक्ष सहमत है कि पित कार नं० ---- को पत्नी अथवा पत्नी द्वारा नामित ----- के पक्ष में हस्तानांतरित कर देगें और इस स्थानान्तरण में खर्च को दोनो पक्ष वहन करेगें ।
 - 8. उभय पक्ष सहमत है कि ----अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेगें ताकि पति पत्नी के नाम से लिये गये संयुक्त लोन आवेदन ----- के नाम

- से परिवर्तित हो जाय ।----- उक्त सम्पति पर कोई दावा नहीं करेगें ।
- 9. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि ---- अग्रीम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करेगें तथा विदेश या वाहर जाकर नौकरी करने में भी विरोध नहीं करेगें ।
- 10. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि पत्नी धरेलु हिंसा अधिनियम के तहत दायर अपने आवेदन तथा पित बच्चे कि अभिरक्षा हेतु दायर आवेदन सक्षम न्यायालय से बापस ले लेगें ।
- पित तथा पत्नी अपने अपने अधिवक्ताओं के मदद से इस समझौते के सभी बातों को लागु करेगें
- 12. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस समझौते के सभी बातों के पालन होने के बाद दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं रहेगा । तथा दोनो पक्ष भविष्य में इस विवाद को लेकर एक दूसरे के विरूध कोई भी दिवानी या फौजदारी मुकदमा दायर नहीं करेगें । तथा वर्तमान में लंग्वित वैसे वादो को वापस ले लेगें ।
 - 13. उभय पक्षों ने यह समझौता अपनी मर्जी से विना किसी दबाब या भय या प्रलोभन के किया है ।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

पिता / रिश्तेदार

पिता / रिश्तेदार

अधिवक्ता

अधिवक्ता

समक्षौते की सभी बातों को दोना पक्षों को उनकी बोल चाल की भाषा में समझा दिये जिनको उन्होने समझा और सही कहा । इस समझौते की कार्यवाई तथा समझौता पत्र को न्यायालय में भेजा जाता है । उभय पक्ष रेफरल न्यायालय में नियत तिथि ----- को उपस्थित हो । समझौते कि एक एक प्रति दोनों को दी गई तथा इसकी एक एक कॉपी उन सभी संबंधित न्यायालयों में भेजी जाती है जहाँ इस बिबाद से सम्बंधित मामले चल रहे हैं ।

मध्यस्थ का हस्ताक्षर

पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता – सुलहानाम का मानक प्रारूप-2 सहमति पत्र

दिनांक :

उपस्थिति :- आवेदक / प्रथम पक्ष ---- (पत्नी के रूप में आगे वर्णित) स्वंय उपस्थित है । उनके पिता/मॉ/ अन्य (वर्णन करें ----) तथा अधिवक्ता उनके साथ है ।

द्वितीय पक्ष / प्रतिवादी ----- (पति के रूप में आगे वर्णित)

स्वंय उपस्थित है । उनके पिता/ मॉ/ भाई/ अन्य (वर्णन करे ----) तथा अधिवक्ता उनके साथ हैं ।

मेने एकल तथा संयुक्त सत्र में पक्षकारों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही की ।

उभय पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुआ। दोनो पक्ष आपस में पित एवं पत्नी है । उनकी शादी हिन्दू --- रीति के अनुसार तारीख ----- को स्थान ----- जिला ------राज्य ----- में हुई । दोनो पक्षों को विवाहोपरान्त कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई । उभय पक्षों में विवाद तथा मतभेदों के कारण पत्नी अन्तर्गत धारा । 2 धरेलु हिंसा ------ अधिनियम ----- एक आवेदन न्यायालय ---- के समक्ष दायर किया। पत्नी ने पित के विरूद्ध भरण पोषण का एक वाद दायर किया है । मध्यस्थतोपरांत उभय पक्ष अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने पर सहमत हुए। पूर्ण सहमतिनामा इस प्रकार है :

- उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि वे अपने विवाह को विधिक
 प्रिक्या से आपसी सहमित के आधार पर तलाक द्वारा समाप्त कर लेंगें।
- 2. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि पित द्वारा पत्नी को रूपये ———— का भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान स्थायी निर्वाह निधि, भरण –पोषण, स्त्रीधन, बच्चों के देख रेख– शिक्षा आदि तथा अन्य सभी दायित्यों तथा मुकदतें बाजी में हुए खर्च के एवज में है।
 - 3. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि सक्षम न्यायालय में उपयुक्त वाद लाया जायेगा तथा प्रथम प्रस्ताव के समय पित द्वारा पत्नी को -----रूपया का नकद/ इंफ्ट के द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 - 4. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि उपरोक्त वाद में समय सीमा के भीतर द्वितीय प्रस्ताव लाया जायेगा तथा उसे लिपिवद्ध कराया जायेगा। द्वितीय प्रस्ताव के समय पित द्वारा पत्नी को ----- रूपया नगद/ डिमांड इफट द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 - 5. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि पत्नी प्रथम प्रस्ताव के समय मिली राशि को लौटा देगी अगर वह द्वितीय प्रस्ताव के समय सहयोग नहीं करती है । पत्नी उक्त रकम को नहीं लौटाने की हकदार होगी अगर पित द्वितीय प्रस्ताव के समय सहयोग नहीं करता है ।
 - 6. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि पत्नी इस वाद को सक्षम न्यायालय से द्वितीय प्रस्ताव के वाद वापस ले लेगी तथा पित के साथ विवाद के वजह से दायर अन्य सभी मुकदमें भी सक्षम न्यायालय से

वापस ले लेगी । पित द्वारा समक्षैते की शर्तो के उल्लंधन की स्थित में पितन मुकदमें नहीं वापस लेने की हकदार होगी ।

- 7. पित तथा पत्नी अपने अपने अधिवक्ताओं के मदद से इस समझौते के सभी बातों को लागु करेगें ।
- 8. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस समझौते के सभी बातों के पालन होने के बाद दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं रहेगा । तथा दोनो पक्ष भविष्य में एक दूसरे के विरुध कोई भी दिवानी या फौजदारी मुकदमा दायर नहीं करेगें । तथा वर्तमान में लंग्वित वैसे बाद को वापस ले लेगें ।
- 9. उभय पक्षों ने यह समझौता अपनी मर्जी से विना किसी दबाब या भय या प्रलोभन के किया है ।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

पिता / रिश्तेदार

पिता / रिश्तेदार

अधिवक्ता

अधिवक्ता

समक्षेते की सभी वातों को दोना पक्षों को उनकी बोल चाल की भाषा में समझा दिये जिनको उनहोने समझा और सही कहा । इस समझौते की कार्यवाई तथा समझौता पत्र को न्यायालय में भेजा जाता है । उभय पक्ष रेफरल न्यायालय में नियत तिथि ———— को उपस्थित हो । समझौते कि एक एक प्रति दोनो को दि गई तथा इसकी एक एक कॉपी उन सभी सबंधित न्यायालयों में भेजी जाती है जहाँ इस बिबाद से समबंधित मामले चल रहे है ।

वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता समझौते

प्रारूप = 3

समझौता पत्र

देनॉक
यचिकाकर्ता स्वंय वैयक्तिक रूप से (इसके उपरान्त पत्नी
के रूप में संदर्भित) वर्तमान अभिवक्ता के साथ में।
प्रतिवादी स्वंय वैयक्तिक रूप से (इसके उपरान्त पति
के रूप में संदर्भित) अभिवक्ता के साथ ।
मैने पक्षकारों के साथ संयुक्त सत्र ' एवं ' एकल सत्र आयोजित किया।
बातचीत की गयी
पक्षकारों द्वारा खुलासा किए गए मामले के प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताया गया पति एवं पत्नी का विवाह दिनॉंक
को हिन्दु संस्कार और रीति रिवाजों के अनुसार हुआ, इस विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद्
उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पत्नी और पति ने एक दूसर क
विलाफ काननी कार्यवाही शुरू की याचिकाकर्ता पत्नी ने दण्ड प्रोक्रिया सहिता
की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की, संख्या शावक
बनाम जो कि वर्तमान में श्री
के न्यायालय में लंबित है।
बातचीत के उपरान्त पत्नी एवं पित विवाद को सुलझाने के लिए इस तरह
सहमत हुए

- (1) उभय पक्ष सहमत है कि विना एक दूसरे के खिलाफ आरोप काउन्टर आरोप लगाये, पित एवं पत्नी, विधि के अनुसार आपसी सहमित से तलाक की डिकी द्वारा अपने विवाह को समाप्त करगें।
- (2) उभय पक्ष सहमत है कि पित विवाह से उत्पन्न होने वाले, भूत वर्तमान एवं भविष्य के सभी कानूनी अधिकारों के प्रति पत्नी को

- ------ का भूगतान करेगा। जिसमें स्थायी निर्वाह- व्यय, भरण- पोषण, भरणपोषण बकाया / भत्ता, स्त्रीधन एवं अन्य विविध और कानूनी खर्चे शामिल है ।
- (4) दोनो पक्षों में सहमित हुई कि पित एवं पत्नी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष द्वितीय प्रस्ताव के लिपिबद्ध (Recording) हेतु विधि के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही करेगें ।
- (6) दोनो पक्षों में सहमित हुई कि, पित व पत्नी के आपसी सहमित की तलाक की डिक्री द्वारा हुए विवाह- विच्छेद की ठीक उपरान्त, दोनो पक्ष अपने अपने मुकदमों / मामलो को वापस लेगें, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है।
- (7) दोनो पक्षो में सहमित हुई कि पित व पत्नी अपने अपने सम्बंधित अधिवक्ताओं की सहायता से इस समझौते के नियमों और शर्तो के पालन में सहयोग करेंगें।
- (8) दोनो पक्षों में सहमित हुई कि वर्तमान समझौते की शर्तो के अनुपालन के पश्चात पत्नी व पित के बीच विवाह से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं रहेगा। एवे भविष्य में कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई भी दिवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं दर्ज करेगा।

एव यदि दोनो पक्षों के मध्य कोई अन्य मुकदमा / याचिका/ शिकायतवाद इत्यादि किसी न्यायलय या अधिकार प्राधिकार के समक्ष लंबित है, उक्त – मुकदमा/ याचिक/ या शिकायतवाद, सम्बन्धित पक्षों द्वारा या तो वापस लिया जायेगा, अथवा समाप्त किया जायेगा।

(9) दोनो पक्षो द्वारा अपने विवाद का निपटरा उनकी स्वेच्छा, से बिना किसी, भय, दबाब, बल प्रयोग या अनुचित प्रभाव से किया गया है।

याचिकाकर्ता

प्रतिवादी

पिता/ याचिकाकर्ता के परिवार वाले पिता/ प्रतिवादी के परिवार वाले

अधिवक्ता

अधिवक्ता

 समझौता को शर्तो को दोनो पक्षों को उनकी स्थानीय भाष में समझाया गया, जिसे दोनो पक्षों ने समझा एवं सही पाकर स्वीकार किया ।

निपटारे / मध्यस्थता की कार्यवाही को सम्बन्धित न्यायालय एवं सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजा जायेगा। अतः दोनो पक्षों को अन्य निर्देशों के लिए उर्पयुक्त लिखित न्यायालयों के समक्ष दिनॉंक ----- को उपस्थित होना होगा।

(मध्यस्थ	के	हस्ताक्षर)

''मोटर र्दुधटना मामलों में मध्यस्थता समझौता''

प्ररूप−1
समझौता पत्र
उपस्थिति आवेदक स्वयं अपने अधिवकता के साथ उपस्थित है
विपक्षी बीमा कम्पनी के तरफ से अधिवक्ता उपस्थित
 मैने दोनो पक्षों के साथ संयुक्त एवं सकल सत्र में बातचीत की। दोनो पक्षों के द्वारा खुलासा किये गये मामले के प्रांसगिक तथ्यों को संक्षेप में बताया गया कि – प्राथमिकी संख्या धारा ———— के अन्तर्गत थाना में अभियुक्त/ चालक ———— के उन्तर्गत थाना खिलाफ वाहन संख्या ———— को चलाते हुए उक्त दिनांक, समय व स्थान पर XYZ को क्षति पहुचाने के आरोप में दर्ज की गयी । आवेदक ने ———— रूपया का दावा किया है । इसी दावा वाद को मध्यस्थता हेतु न्यायालय ने भेजा है ।
• उभय पक्ष मध्यस्थता के पश्चात स्वेछा से निम्नलिखित 'शर्तो पर अपने विवाद को समाप्त करने हेतु तैयार है । 1. विपक्षी 30 दिन के भितर रेफरल न्यायालय में ———————————————————————————————————

दोनो पक्ष भविष्य में एक दुसरे के विरूद्ध दावा --प्रतिदावा

3. दोनो पक्षों द्वारा अपने विवाद का निपटारा उनकी स्वेच्छा से बिना भय, बल प्रयोग, दवाब, या अनुचित प्रभाव से किया

गया है।

याचिका कर्ता -----याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या -1 / चालक प्रतिवादी संख्या 2/ मालिक प्रतिवादी के अधिवक्ता

• समझौता को शर्तों को दोनो पक्षों को उनकी बोलचाल की भाष में समझाया गया, जिसे दोनो पक्षों ने समझा एवं सही पाकर स्वीकार किया ।

निपटारे / मध्यस्थता की कार्यवाही को सम्बन्धित न्यायालय एवं सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजा जायेगा। अतः दोनो पक्षों को अन्य निर्देशों के लिए उर्पयुक्त लिखित न्यायालयों के समक्ष दिनॉक ----- को उपस्थित होना होगा।

(मध्यस्थ	के	हस्ताक्षर)

''मोटर र्दुधटना मामलों में मध्यस्थता समझौता''

प्ररूप-2

- मैने दोनो पक्षों के साथ संयुक्त एवं सकल सत्र में बातचीत की। • दोनो पक्षों के द्वारा खुलासा किये गये मामले के प्रांसगिक मथ्यों को संक्षेप में बताया गया कि – प्राथमिकी संख्या _____ के अन्तर्गत थाना ----- में अभियुक्त/ चालक ----- के खिलाफ वाहन संख्या ----- को चलाते हुए उक्त दिनांक, समय व स्थान पर XYZ को क्षति पहुचाने के आरोप में दर्ज की गयी। • अनुसंधान समाप्त होने के पश्चात सम्बन्धित अनुसंधनकर्ता के द्वारा DAR ----- बनाम ----- वाद संख्या ----- दायर किया गया ,जो कि श्री -----के न्यायालय के समक्ष लम्बित है । उसी समय मामले को मध्यस्थता हेतु भेजा गया। बातचीत के उपरान्त दोनो पक्ष विवाद को सुलाने हेतु बिन्दुओं पर सहमत हुये । 1. दोनो पक्षों में सहमति हुई कि प्रतिवादी संख्या 1---- (चालक) एवं प्रतिवादी संख्या (2) ---- मालिक धायल व्यक्ति को क्षति के कारण संयुक्त और पूर्ण मुआवजे के रूप में, संयुक्त रूप से रूपये ----- का भुगतान करेगा, उक्त मुआवजे के अन्तर्गत " चिकित्सा खर्च मानसिक उत्पीड़न मुआवजा, वाहन शुल्क व अन्य सभी विधि एवं कानूनी खर्चो का समक्ष जायेगा। इसके अतिरिक्त कुल निपटान राशी ----- में से प्रतिवादी संख्या 1 (चालक) ----- एवं प्रतिवादी संख्या (2) ----- को रू० -----शब्दों में _____ का भूगतान धायल व्यक्ति श्री _____क के समक्ष एवं रू ------ श्री ------की न्यायालय के समक्ष धारा 338 (भारतीय दण्ड संहिता) के तहत -अपराध के परिसचरण के समय करना होगा।
- 2. दोनो पक्षों में सहमित हुई कि कुल निपटारे राशि का भुगतान रू० ----- प्राप्त करने के पश्चात याचिकाकर्ता ओर प्रतिवादी के मध्य कोई मुकदमा / दावा/ विवाद नहीं हरेगा, और दोनो पक्षों में से कोई

3. दोनो पक्षों द्वारा अपने विवाद का निपटारा उनकी स्वेच्छा से बिना भय, बल प्रयोग, दवाब, या अनुचित प्रभाव से किया गया है ।

याचिका कर्ता -----याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या -1 / चालक प्रतिवादी संख्या 2/ मालिक प्रतिवादी के अधिवक्ता

 समझौता को शर्तो को दोनो पक्षों को उनकी बोलचाल की भाष में समझाया गया, जिसे दोनो पक्षों ने समझा एवं सही पाकर स्वीकार किया ।

निपटारे / मध्यस्थता की कार्यवाही को सम्बन्धित न्यायालय एवं सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजा जायेगा। अतः दोनो पक्षों को अन्य निर्देशों के लिए उर्पयुक्त लिखित न्यायालयों के समक्ष दिनॉक ----- को उपस्थित होना होगा।

(मध्यस्थ	के	हस्ताक्षर)

मोटर दुर्घटना मामलों में मध्यस्थता समझौता प्रारूप -3

'मोटर दुर्घटना मामले'

धायल (स्वयं वैयक्तिक रूप से) -----अभियुक्त / चालक (सवंय वैयक्तिक रूप से) -----

- दोनो पक्षो के साथ संयुक्त सत्र में बातचीत की गयी।

बातचीत के दौरान दोनो पक्ष विवाद को सुलझाने हेतु निम्न बिन्दुओं एंव शर्ता पर सहमत हुये -----

- 1. वादि / पिड़ित धारा 338 भा.द.वि. के तहत दर्ज अपने मुकदमे को अभीयुक्त के विरूध सुलह करने के लिए तैयार है तथा अभियुक्त वादि को रेफरल न्यायालय में.....रु. देंगे।
- 2. उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि उपरोक्त पैसे की प्राप्ती के बाद वादि उचित कारवाई करेगे ताकि मुकदमा सुलह के आधार पर समाप्त हो जाय
- 3. उभय पक्षो ने सुवेक्षा से बीना किसी भय एवं दबाव के यह सुलह किया है।

वादि/पिड़ित

अभीयुक्त/चालक

मध्यस्थ का हस्ताक्षर

पराकम्य लिखित अधिनियम के तहत मामलों मे मध्यस्थता समझौता पत्र का मानक प्रारूप1

समझौता पत्र

अभियुक्त स्वंय के साथ उपस्थित	अपने है।	अधिवक्ता
वादी स्वंय अपने के साथ उपस्थित	ा अधिव है।	वक्ता

समझौता वार्ता के पश्चात उभय पक्ष अपने सारे विवादो को सुलह करने को इन बिन्दुओं पर राजी हुए है ।

- 2. यह तय किया गया है कि वादी द्वारा समझौते कि कुल रकम प्राप्ती के पश्चात रेफर करने वाले न्यायालय में वर्तमान वाद उठा/ वापस लिया जाएगा।
- 3. यह तय किया गया है कि समझौते की कुल रकम की प्राप्ती पश्चात कोई पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध मौजुदा वाद से उत्पन्न कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर नहीं करेगा।
- 4. उभय पक्ष अपने विवाद का स्वेच्छा से बिना किसी भय दबाव तथा बिना किसी पक्ष के अनुचित प्रभाव से सुलह कर लिया गया है।

प्रथम पक्ष/परिवादी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष/ अभियुक्त का हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष/परिवादी के अधिवक्ता का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष/ अभियुक्त के

अधिवक्ता का हस्ताक्षर

समझौता की शर्तो को दोनो पक्षों को उनकी बोलचाल की भाषा में समझाया गया, जिसे दोनो पक्षों ने समझा एवं सही पाकर स्वीकार किया ।

निपटारे / मध्यस्थता की कार्यवाही को सम्बन्धित न्यायालय में भेजा जायेगा। अतः दोनो पक्षों को अन्य निर्देशों के लिए उर्पयुक्त लिखित न्यायालयों के समक्ष दिनाँक ---- को उपस्थित होना होगा।

प्रथम पक्ष/परिवादी का हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/ अभियुक्त का हस्ताक्षर

पहचान करने वाले अधिवक्ता का हस्ताक्षर पहचान करने वाले अधिवक्ता का हस्ताक्षर

२ 1. मध्यस्थ/ मध्यस्थों का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

२२. मध्यस्थ / मध्यस्थों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यस्थता कार्यवाही के पश्चात उभय पक्षो ने खेक्षा से सुलह किया है तथा उनका विवाद इस समझौते की शर्ती के अनुसार समाप्त हो गया है । यह मध्यस्थता समझौता पत्र उभय पक्षों को उनके बोलचाल की भाषा में समझा दिया गया जिसे उन्होने समझा तथा सही बताया। समझौता पत्र की एक एक प्रति उभय पक्षों को मुफ्त में दी गई।

मध्यस्थ/ मध्यस्थों का हस्ताक्षर

1.

2. 3.

0.	
दिनाक	:

पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत मामलों मे मध्यस्थता समझौता पत्र का मानक प्ररारूप-2

समझौता पत्र

अभियुक्त	स्वंय	अपने	अधिवक्ता
के साथ उ	पश्थित	है।	
वादी स्वंय के साथ उ			वक्ता

समझौता वार्ता के पश्चात उभय पक्ष अपने सारे विवादो को सुलह करने को इन बिन्दुओं पर राजी हुए है ।

- 1. यह तय किया गया है कि समझौते की कुल राशि.....रू कोरूपया के समान मासिक किस्तों में दिनांक....रे अंग्रेजी कैलेन्डर केतारीख को वादी के प्राप्ती रशीद देने पर मध्यस्थता में रेफर करने वाले न्यायालय के समक्ष या वादी को प्रत्यक्ष रूप से देय होगा।
- 2. यह तय किया गया है कि प्रथम किस्त कि अदायगी के उपरान्त यह वाद समाप्त माना जायेगा तथा अगली किस्त नहीं देने कि स्थिति में परिवादी को सक्षम न्यायालय में इजराय (Execution) दायर करने का हक होगा ।
- 3. उभय पक्ष अपने विवाद का स्वेच्छा से बिना किसी भय दबाव तथा बिना किसी पक्ष के अनुचित प्रभाव से सुलह कर लिया गया है।

प्रथम पक्ष/परिवादी का हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/ अभियुक्त का हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष/परिवादी के द्वितीय पक्ष/ अभियुक्त के अधिवक्ता का हस्ताक्षर अधिवक्ता का हस्ताक्षर

समझौता की शर्तो को दोनो पक्षों को उनकी बोलचाल की भाषा में समझाया गया, जिसे दोनो पक्षों ने समझा एवं सही पाकर स्वीकार किया । निपटारे / मध्यस्थता की कार्यवाही को सम्बन्धित न्यायालय में भेजा जायेगा। अतः दोनो पक्षों को अन्य निर्देशों के लिए उर्पयुक्त लिखित न्यायालयों के समक्ष दिनॉक ----- को उपस्थित होना होगा।

प्रथम पक्ष/परिवादी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष/ अभियुक्त का हस्ताक्षर

पहचान करने वाले अधिवक्ता का हस्ताक्षर

पहचान करने वाले अधिवक्ता का हस्ताक्षर

२ 1. मध्यस्थ/ मध्यस्थों का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

२२. मध्यस्थ / मध्यथों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यस्थता कार्यवाही के पश्चात उभय पक्षों ने स्वेक्षा से सुलह किया है तथा उनका विवाद इस समझौते की शर्तों के अनुसार समाप्त हो गया है । यह मध्यस्थता समझौता पत्र उभय पक्षों को उनके बोलचाल की भाषा में समझा दिया गया जिसे उन्होंने समझा तथा सही बताया। समझौता पक्ष की एक एक प्रति उभय पक्षों को मुफ्त में दी गई ।

मध्यस्थ/ मध्यस्थों का हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

3.

दिनांक	: